अमरावती विभागातील विभागीय आयुक्त व जिल्हा स्तरावरील पुनर्वसन व भूसंपादन आस्थापनेवरील एकूण ५१ अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०९.२०२४ ते दिनांक २८.०२.२०२५ (६ महिने) पर्यंत मुदत्तवाढ देण्याबाबत....

महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग शासन निर्णय क्रमांक मुदतवाढ-२०१९/प्र.क्र.६७/र-१

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. दिनांक :- ०८.१०.२०२४

वाचा :-

- १) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र.आरपीए-२००८/प्र.क्र.४३२/र-१, दि. २८.०१.२०१०
- २) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र.मुदत्तवाढ-२०१९/ प्र.क्र.६७/र-१, दि.२४.०४.२०२४
- ३) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. ०६.०९.२०२४
- ४) विभागीय आयुक्त, अमरावती यांचे पत्र क्र.उपआ/पुनर्व/उपले/कावि-५९/२०२४, दि.१७.०९.२०२४

शासन निर्णय :-

अमरावती महसूली विभागातील विविध पाटबंधारे व अन्य प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाच्या कामासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या ५१ पदांना संदर्भाधिन शासन निर्णय क्रमांक २ अन्वये दि.०१.०३.२०२४ ते दि.३१.०८.२०२४ पर्यंत अस्थायी पदांना मुदतवाढ मंजूर करण्यात आली होती.

- २. उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या मान्यतेनुसार मदत व पुनर्वसन उपविभागाच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रिय स्तरावरील पदांचा आढावा घेण्यात आला असून पुनर्वसन आस्थापनेवरील अमरावती विभागातील एकूण ५२ पदांचा आकृतीबंध संदर्भिय शासन निर्णय क्रमांक १ नुसार निश्चित केला आहे. त्यानुसार ५१ पदांना सोबतच्या "अ" व "ब" प्रपत्रात दर्शविल्यानुसार दिनांक ०१.०९.२०२४ ते २८.०२.२०२५ (६ महिने) पर्यंत पुढे चालू ठेवण्यास शासनाची मंजूरी प्रदान करण्यात येत आहे.
- 3. उपरोक्त पदे अस्थायी स्वरुपाची असून ती पदे संबंधित विभागाच्या स्थायी पदांबरोबर अतिरिक्त पदे म्हणून मानण्यात यावीत. तसेच सदरहू पदांबरोबर पदधारक शासनाच्या नियमानुसार महागाई भत्ते व इतर पुरक भत्ते मिळण्यास पात्र राहतील. तसेच उपरोक्त पदे सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ रिक्त नव्हती, या धारणेच्या अधिन राहून मुदतवाढीस शासनाने मंजूरी दिली आहे.
- ४. पुनर्वसन व भूसंपादन आस्थापनेवरील जिल्हास्तरीय पदांवर होणाऱ्या ४५ कर्मचारी वृदांचा खर्च मुख्य लेखाशिर्ष "मागणी क्रमांक सी-५, २२३५-सामाजिक सुरक्षा व कल्याण(०१), राज्य योजनांतर्गत योजनां, प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन (०४) पुनर्वसन (२०२)(०४) (०५), आयुक्त अमरावती (२२३५ १९७१) (योजनांतर्गत)" या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षातील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा.

- ५. सदरहू पदांपैकी आयुक्त कार्यालयातील पुनर्वसनासाठी मंजूर केलेल्या ६ कर्मचारी वृदांचा खर्च मुख्य शिर्ष मागणी क्रमांक सी-५-(२२३५)-सामाजिक सुरक्षा व कल्याण-०१- प्रकल्प बाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन-(०३) पुनर्वसन (२०२) (०३) (०५), आयुक्त अमरावती, (२२३५ १९१५) (योजनेतर) या लेखाशिर्षा खाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षातील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा.
- ६. प्रकल्पबाधिताच्या पुनर्वसन कार्यक्रमावर होणाऱ्या खर्चाच्या विभागणी बाबत संबंधित जिल्हाधिकारी अमरावती, अकोला, बुलढाणा व यवतमाळ यांनी संबंधित प्रकल्पाच्या अधिकाऱ्यांशी विचारविनियम करुन सन २०२४-२५ या वित्तीय वर्षातील खर्चाचा आवश्यक तो ताळमेळ घालून जुळवाजुळव करावी.
- ७ हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक पदिन २०१६/प्र.क्र.८/ १६/आ.पु.क, दि.०६.०९.२०२४ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे.
- ८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या <u>www.maharashtra.gov.in</u> या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४१००८१५२१२७००१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने,

(केदारप्रताप पाटील) कक्ष अधिकारी,महसूल व वन विभाग

प्रति,

- १) विभागीय आयुक्त, अमरावती विभाग, अमरावती.
- २) उपआयुक्त(पुनर्वसन), अमरावती विभागीय आयुक्त कार्यालय, अमरावती.
- ३) जिल्हाधिकारी (पुनर्वसन शाखा), अमरावती/अकोला/बुलढाणा/ यवतमाळ.
- ४) जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी, अमरावती/अकोला/बुलढाणा/यवतमाळ
- ५) महालेखापाल- २, लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर.
- ६) जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती/अकोला/बुलढाणा/ यवतमाळ.
- ७) कक्ष अधिकारी (मोप्र-२) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
- ८) कक्ष अधिकारी (आ.पू.क.), वित्त विभाग, मंत्रालय,मुंबई.
- ९) निवड नस्ती (र-१)

प्रपत्र अ शासन निर्णय क्र. मुदतवाढ-२०१९/प्र.क्र.६७/र-१, दि. ०८.१०.२०२४ सोबतचे सहपत्र

| अमरावती विभागातील पुनर्वसन आस्थापनेवरील विभागीय आयुक्त व जिल्हा स्तरावरील ३४ पदांचा तपशील | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-------|---------|------|--|--|
| | पदनाम | वेतनश्रेणी (रुपये) | | जिल्हाधिकारी कार्यालय | | | | | | |
| अ. क्र. | | | आयुक्त कार्यालय | अमरावती | यवतमाळ | अकोला | बुलदाणा | एकूण | | |
| 9 | उपआयुक्त (पुनर्वसन) (अप्पर जिल्हाधिकारी श्रेणी) | (रु.७८८००-२०९२००) एस-२५ | 9 | | | | | 9 | | |
| २ | जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी (उप जिल्हाधिकारी श्रेणी) | (रु.५६१००-१७७५००) एस-२० | | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | | |
| 3 | उपलेखापाल | (रु.३५४००-११२४००) एस-१३ | 9 | 9 | | | | २ | | |
| 8 | मंडळ निरीक्षक | (रु.३८६००-१२२८००) एस-१४ | | 9 | 9 | | 9 | 3 | | |
| 4 | अव्वल कारकून | (रु.३२०००-१०१६००) एस-१२ | 9 | 9 | २ | | 9 | 4 | | |
| Ę | तलाठी | (रु.२५५००-८११००) एस-८ | | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | | |
| 9 | लिपिक-टंकलेखक | (रु.१९९००-६३२००) एस-६ | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | | |
| ۷ | भूमापक सर्व्हेअर | (रु.१९९००-६३२००) एस-६ | | 9 | 9 | 9 | | 2 | | |
| ς | वाहन चालक | (रु.१९९००-६३२००) एस-६ | 9 | | 9 | | 9 | 3 | | |
| 90 | शिपाई | (रु.१५०००-४७६००) एस-१ | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ч | | |
| | एकूण | | Ę | ۷ | 9 | 8 | 0 | 38 | | |

प्रपत्र-ब

| | अमरावती विभागातील भूसंपादन आस्थापनेवरील १७ पदांचा तपशील | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|--------------------|---------|--------|-------|---------|--------|--|--|--|--|
| | पदनाम | वेतनश्रेणी (रुपये) | आयुक्त कार्यालय | अमरावती | यवतमाळ | अकोला | बुलदाणा | ம்கீப் | | | | |
| 9 | विशेष भूसंपादन अधिकारी (उपजिल्हाधिकारी श्रेणी) | (५६१००-१७७५००) एस-२० | | 9 | 9 | ٩ | | 3 | | | | |
| २ | अव्वल कारकून | (३२०००-१०१६००) एस-१२ | | 9 | 9 | 9 | | 3 | | | | |
| 3 | लिपिक-टंकलेखक | (१९९००-६३२००) एस-६ | | 9 | 9 | 9 | | 3 | | | | |
| 8 | मंडळ निरिक्षक | (३८६००-१२२८००) एस-१४ | | ٩ | 9 | 9 | | 3 | | | | |
| ч | तलाठी | (२५५००-८११००) एस-८ | | 9 | 9 | | | २ | | | | |
| ξ | शिपाई | (१५०००-४७६००) एस-१ | | 9 | 9 | 9 | | 3 | | | | |
| | एकुण | | | Ę | દ્દ | ч | | 90 | | | | |
